

द बगि पकिंचरः बुनयादी अवसंरचना परयोजनाओं को लागू करने का रोडमैप चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2021-2022 में बुनयादी अवसंरचना क्षेत्र पर वशिष्ठ ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने विकास वित्त संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की है, जिससे बड़े पैमाने पर संपत्तिका मौद्रीकरण संभव हो सकेगा।

- बुनयादी अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने से न केवल महामारी के बाद भारत की अरथव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि नए रोज़गार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।

प्रमुख बादि

- बजट आवंटन में वृद्धि: वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में बुनयादी अवसंरचना के लिये बजट आवंटन में 34.5% की वृद्धि की गई है।
- सभी क्षेत्रों पर समान फोकस: सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, शहरी बुनयादी अवसंरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, नौ-परविहन व वामिनन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित सभी भौतिक अवसंरचनाओं पर समान बल दिया गया है। राजमार्गों के निर्माण के लिये 1.08 लाख करोड़ रुपए का उच्चतम पूँजीगत वयय आवंटित किया गया है।
- संस्थागत स्थापना: सरकार ने विकासात्मक वित्तीय संस्थान की स्थापना एवं पूँजीकरण के लिये 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।
- नगिरानी एवं पारदर्शनी: अवसंरचना विकास में हुई प्रगतिको ट्रैक करने हेतु डेशबोर्ड के साथ एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी, इससे नविशक भी संबंधित कार्यों पर दृष्टिरेख सकेंगे।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

- बजट 2021-22 में संभावित ब्राउनफील्ड परयोजनाओं के लिये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है। प्रसिंपत्ति विमुद्रीकरण सार्वजनिक प्रसिंपत्तियों में किये गए नविश जिससे अब तक उचित अथवा संभावित रिट्रन प्राप्त नहीं हुआ है, को अनलॉक करने की प्रक्रिया होती है।

ब्राउनफील्ड परयोजनाएँ

- ब्राउनफील्ड नविश तब होता है जब कोई कंपनी अथवा सरकारी संस्था एक नई उत्पादन गतिविधि शुरू करने के लिये मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को छोड़ता है अथवा पट्टे (lease) पर देता है। यह प्रत्यक्ष विदेशी नविश (FDI) में उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है।
- इसका विकल्प एक ग्रीनफील्ड नविश होता है, जिसमें एक नए संयंतर का निर्माण किया जाता है।

बुनयादी अवसंरचना विकास के लिये फोकस क्षेत्र

- अवरोधों को समाप्त करना: जो सड़कें एवं राजमार्ग बनाए जा रहे हैं उनके अतिरिक्त उन अवरोधों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये जो राजमार्ग एवं शहरों को जोड़ते हैं।
- कम लागत वाले आवास: बुनयादी अवसंरचना परयोजनाएँ ज्यादातर टियर-1 टियर-2 शहरों तक ही सीमित हैं, महामारी के पश्चात प्रवासी मजदूर शहरों में लौटेंगे, इसलिये सरकार को कम लागत वाले आवासों पर काम करना होगा ताकि भविष्य में कोई मजदूर को अस्थायी आवास की समस्या न हो।
- शहरों को झुग्गियों से मुक्त करना तथा कम लागत वाले आवास भारत के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जिन्हें ध्यान में रखकर कार्य करना होगा।
- नदी पुनरुद्धार: भारत को नदी पुनरुद्धार अवसंरचना को बढ़ावा देना होगा क्योंकि लिंगभग प्रत्येक शहर में एक ऐसी नदी है जिसमें अपशिष्ट जल मलिता है।
 - यद्यपि प्रमुख नदियों के लिये प्रमुख कार्य योजनाएँ, जैसे- स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मशिन हैं, लेकिन ये प्राप्त नहीं हैं, कई नाले एवं सहायक नदियाँ मुख्य नदी के परदृष्टि में योगदान दे रही हैं।
 - इसके अतिरिक्त इन नदियों के आसपास रहने वाले लोगों का सहयोग लेने की भी आवश्यकता है।
- सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP): सरकार इन बुनयादी अवसंरचना परयोजनाओं में तब तक केवल अपने संसाधनों से पूर्ण नविश नहीं कर सकती

है, जब तक कि सरकार नजीकी क्षेत्र को शामल नहीं करती है। सरकार नजीकी क्षेत्र के सहयोग से इन परसिंपत्तयों का मुद्रीकरण कर सकती है।
○ अवसंरचना परियोजनाओं को पूर्ण करने में होने वाली देरी को कम करने के लिये सरकारें शुरू में परियोजनाओं का नियमांकन कर सकती हैं और फिर संचालन एवं रखरखाव के लिये परियोजनाओं को नजीकी क्षेत्र को सौंप सकती हैं।

संवर्धनीय मुद्दे

- **स्थायी वित्त का अभाव:** हालाँकि बुनियादी अवसंरचना के लिये बजट में का एक बड़ी राशि का आवंटन किया जाता है लेकिन यह तब तक प्राप्त नहीं है जब तक कि इसे बाजार से पूरक संसाधनों जैसे- एफडीआई के साथ संवर्धनीय नहीं किया जाता है।
- **भूमि संवर्धनीय मुद्दे:** भूमि किसी भी बुनियादी अवसंरचना परियोजना के लिये बुनियादी आवश्यकता है। भारत में भूमि अधिग्रहण विवादास्पद है, अतः यह प्रकरण बहुत तीव्र नहीं होती है।
- **अपरभावी विवाद समाधान तंत्र:** बहुत सारी अवसंरचना परियोजनाएँ, क्रियान्वयन एजेंसियों जिन्हें परियोजनाएँ सुपुरद की जाती हैं एवं प्राधिकरणों के मध्य मुकदमेबाज़ी में फैस जाती हैं।
 - विवाद समाधान तंत्र बहुत तीव्र एवं प्रभावी नहीं है, इसलिये मौजूदा नविशकों को सफल होना मुश्किल लगता है और नए नविशक भाग लेने में ज़्यादा सहज महसूस नहीं करते हैं।

आगे की राह

- **मानव संसाधन:** बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं नियंत्रण के लिये गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन के नविश की आवश्यकता होगी।
- **प्रत्यक्ष विविध नविश:** उन क्षेत्रों में जहाँ भारत अनुसंधान एवं विकास में अभी भी वैश्वकि स्तर पर नहीं है, FDI की अनुमति एवं FDI में वृद्धि की जानी चाहिये।
 - भारत में अधिक FDI लाने के लिये कानूनी ढाँचे को सुगम बनाना होगा एवं इसके लिये एक बेहतर अनुबंध प्रबंधन प्रणाली तथा एक विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता है।
- **नजीकी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना:** सरकार सवयं परियोजनाओं से नजीकी क्षेत्र की उद्यमता क्षमताओं को सामने नहीं ला सकती है, यदि भारत को बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के मामले में वैश्वकि स्तर पर पकड़ बनानी है तो इसकी बहुत आवश्यकता है।

नष्टिकरण

- PPP मॉडल के साथ बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने का एक रोडमैप बनाए जाने की आवश्यकता है एवं इससे सरकार की वित्तीय क्षमता पर बोझ कम होगा।
 - यद्यपि नजीकी क्षेत्र एक लाभ आधारित क्षेत्र है लेकिन इसे उपयुक्त तरीके से विनियमित किया जाए तो यह सरकार, नजीकी क्षेत्र के साथ-साथ राष्ट्र के लिये भी लाभदायक होगा।
 - इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है जो न केवल सार्वजनिक नविश से होने वाले रिट्रैन में वृद्धि करेगा बल्कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देगा।
- यदि भारत का लक्ष्य विश्व सतरीय बुनियादी अवसंरचना की स्थिति प्राप्त करना है, तो कई चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने और प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता हैं जैसे कि अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये उदयोग एवं शक्ति साझेदारी को प्रोत्साहन दिया जाना।